

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी-27/2022..... पटना, दिनांक :- 15/03/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 67 दिनांक 18.01.2023 द्वारा श्री विकास कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03839) के विरुद्ध इन्हें आवंटित राजस्व ग्राम में भारी पैमाने पर अनियमितता करने, भू-स्वामी की जमीन बिहार सरकार करने, एक रैयत की जमीन का दूसरे रैयत के नाम खाता खोलने, अवैध राशि की उगाही करने की नियत से गलत तथ्य प्रचारित करने एवं स्पष्टीकरण का जबाब मांगने पर आत्महत्या कर लेने की धमकी देने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 1406 दिनांक 13.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित ने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके उपर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। स्पष्टीकरण में आगे अंकित किया गया है कि रैयती भूमि का इन्द्राज सरकारी जानबुझ कर नहीं किया गया है बल्कि नवैयत चयन क्रम में भूल हुई है, जिससे खेसरा सरकारी हो गया है। इससे स्पष्ट है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आरोपित पर भू-स्वामी की रैयती जमीन को बिहार सरकार जानबुझ करने ताकि रैयतों से राशि की उगाही करने संबंधी लगाया गया आरोप सत्य है।

आरोपित के विरुद्ध प्राप्त प्रतिवेदन, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा जानबुझ कर रैयती जमीन को बिहार सरकार किया गया है। इनके इस प्रकार के कृत्य से आमजनों में सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े एवं आमजनों में सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य की छवि धूमिल न हो, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम - 8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत श्री विकास कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03839) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी-27/2022..... पटना, दिनांक :- 15/03/2023

प्रतिलिपि :- श्री विकास कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03839), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचना प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी-27/2022²²²⁷ पटना, दिनांक :- 17/03/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी-27/2022²²²⁷ पटना, दिनांक :- 17/03/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ
प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
17/3/23